रुक्टा (रा.)

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

Rajasthan University and College Teachers' Association-R

(अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से सम्बद्ध)

केन्द्रीय कार्यालय : देराश्री शिक्षक सदन, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर,जयपुर-302004

प्रधान कार्यालय : राजकीय महाविद्यालय, अजमेर-305 001 (राज.)

website: www.ructarashtriya.org **Email:** info@ructarashtriya.org

RUCTA (R)

अध्यक्ष
डॉ. मधुरमोहन रंगा
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
☎ (0145) 2429341, 9414008425

महामंत्री
डॉ. नारायणलाल गुप्ता
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
(मो.) 9414497042

पत्रांक : रुरा/ 36804-807 दिनांक: 11.4.14

प्रतिष्ठार्थ

मानसनीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार
जयपुर

विषय : सी.ए.एस. योजना में चयनित वेतनमान श्रृंखला satisfactory ACR के आधार पर देने के संबंध में।

महोदय,

निवेदन है कि निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा आदेश क्रमांक एफ 1 (105) पीएस/निकाशि/13/पार्ट/369 दिनांक 4-4-2014 एवं एफ 1(105)पीएस/निकाशि/13/पार्ट/383 दिनांक 4-4-2014 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं/अवमानना याचिकाओं के अन्तर्गत वादी व्याख्याताओं को 28-3-2014 को सम्पन्न हुई रिव्यू स्क्रिनिंग कमेटी की अनुशंषानुसार बिना व्यवधान के की गई एडहॉक/अस्थाई सेवा को सम्मिलित करते हुए कॅरियर एडवांसमेन्ट योजना के अर्न्तगत वरिष्ठ एवं चयनित वेतन श्रृंखला स्वीकृत की गई है। किन्तु इन आदेशों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्णयों एवं राज्य सरकार/यू.जी.सी. द्वारा पूर्व में जारी आदेशों की भ्रामक व्याख्या अथवा अनदेखी करने से वादी/अपीलार्थी व्याख्याताओं को न्यायालय के आदेशानुसार वित्तीय लाभ मिलने के स्थान पर बड़ा वित्तीय नुकसान होता है, जो न तो नियमानुसार है एवं न ही न्यायोचित। इस संबंध में सम्पूर्ण विवरण आपसे समक्ष बिन्दुवार प्रस्तुत है -

1. राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन क्रमांक F 19 (1)FD(Gr. 2)88-1(RPS88 UGC 1/88) दिनांक 3-6-88 द्वारा राजकीय महाविद्यालय के शिक्षकों को यू.जी.सी. की अनुशंसानुसार संशोधित वेतनमान स्वीकृत किये, जो 1-1-86 से लागू किये गए। इस नोटिफिकेशन के बिन्दु सं. 12 में स्पष्ट उल्लेखित किया गया- 'Notwithstanding anything contained in these rules the Revised Pay Scales (UGC) shall be subject to the condition that the provisions of the Rajasthan Education Service (Collegiate Branch) Rules 1986, in regard to qualification, mode of recruitment/appointment to different posts grant of annual grade increments/conditions of eligibility for senior and selection scales of lecturer etc. shall be amended with effect from 1-1-1986 strictly in conformity with the guidelines contained in Government of India, Ministry of Human Resource Development, Department of Education letter no. F-1-21/87 U.I. Dt. 17-6-1987"

2. शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा notification क्रमांक F-1-21/87 U.I. दिनांक 22-7-1988 के माध्यम से कॅरियर एडवांसमेन्ट योजना के अन्तर्गत रीडर एवं व्याख्याता (चयन ग्रेड) हेतु eligibility condition में कतिपय परिवर्तन किये। इस notification

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)
Rajasthan University and College Teachers' Association-R
(अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से सम्बद्ध)
केन्द्रीय कार्यालय : देराश्री शिक्षक सदन, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर,जयपुर-302004
प्रधान कार्यालय : राजकीय महाविद्यालय, अजमेर-305 001 (राज.)
website: www.ructarashtriya.org **Email:** info@ructarashtriya.org
RUCTA (R)

अध्यक्ष
डॉ. मधुरमोहन रंगा
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
☎ (0145) 2429341, 9414008425

महामंत्री
डॉ. नारायणलाल गुप्ता
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
(मो.) 9414497042

पत्रांक : रुरा/ दिनांक: ....

के para 13 से 17 में कॅरियर एडवांसमेन्ट योजना हेतु विस्तृत conditions निर्धारित की गई, जिनमें वरिष्ठ वेतन श्रृंखला से चयनित वेतन श्रृंखला में जाने हेतु consistently good performance appraisal report की condition उल्लेखित की गई।

3. भारत सरकार के द्वारा 22-7-1988 को जारी उपर्युक्त notification के para 22 में performance appraisal report के बारे में स्पष्ट किया गया -
'Regular and systematic appraisal of performance of teachers is to be an essential element in the management of education and this has been taken into account in the design for the career development of teachers. The UGC has been requested to formulate the guidelines for the evaluation of performance of teachers taken into account the statement contained in the National Policy of Education 1986. Such a system should become operational with effect from academic year 1988-89. Till it becomes operational the existing screening mechanism/selection procedures or those prescribed on a provisional basis by the University/State Government concerned will apply to all placements/promotions referred to in paras 13-17.

4. राज्य सरकार द्वारा 1-5-89 को कॅरियर एडवांसमेन्ट योजना हेतु जारी आदेश से काफी जटिलताएं उत्पन्न हो गई, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा जारी ACR का फार्मेट महाविद्यालय शिक्षकों एवं राज्य सेवा के अन्य अधिकारियों के लिए समान रहा है तथा satisfactory या good performance appraisal report के लिए किसी तरह के स्पष्ट आंकिक अथवा गणितीय मापदंड निर्धारित नहीं किये गए है, इस कारण satisfactory अथवा good ACR का होना पूर्णतया प्राचार्य के व्यवहार एवं विवेक पर निर्भर करता रहा है। राज्य में अधिकांशतः प्राचार्यों द्वारा satisfactory ACR भरने की पद्धति एवं परम्परा रही है। इस प्रकार के तथ्यों एवं उनसे उत्पन्न जटिलताओं को दृष्टिगत रख राज्य सरकार ने notification क्रमांक F 19(1)FD(Gr.2)88-I(RPS88 UGC1/89) दिनांक 23-8-89 द्वारा यू.जी.सी. वेतनमान नियमों में शिथीलीकरण के आदेश जारी किए, जो पूर्व में जारी notification क्रमांक F 19(1)FD (Gr.2) 88-I(RPS 88 UGC 1/88) दिनांक 23-6-88 में Rule no. 13 रूप में लागू हुआ। इस आदेश के आधार पर 1-5-89 को जारी आदेश में शिथीलीकरण करते हुए satistfactory annual performance appraisal report के आधार पर चयनित वेतन श्रृंखला में पात्र व्याख्याताओं को पदोन्नति दी गई।

5. 27-7-1998 के बाद यू.जी.सी. 1996 पे पैकेज में 'consistently good performance appraisal report' को हटा दिया गया।

6. जो व्याख्याता 1982, 1984, 1986 में लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित हुए तथा जिन्होंने इससे पूर्व अस्थायी सेवा की थी, नियमानुसार पूर्व सेवा का लाभ उन्हें सरकार द्वारा नहीं दिया जाने के कारण वे न्यायालय में गए।

रुक्टा (रा.)

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

Rajasthan University and College Teachers' Association-R

(अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से सम्बद्ध)

केन्द्रीय कार्यालय : देराश्री शिक्षक सदन, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर, जयपुर-302004

प्रधान कार्यालय : राजकीय महाविद्यालय, अजमेर-305 001 (राज.)

website: www.ructarashtriya.org **Email:** info@ructarashtriya.org

RUCTA (R)

अध्यक्ष
डॉ. मधुरमोहन रंगा
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
☎ (0145) 2429341, 9414008425

महामंत्री
डॉ. नारायणलाल गुप्ता
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
(मो.) 9414497042

पत्रांक : रुरा/ दिनांक: ....

7. माननीय उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी निर्णयों का हवाला देते हुए प्रार्थी व्याख्याताओं की सम्पूर्ण सेवा अवधि को वरिष्ठ एवं चयनित वेतन श्रृंखला हेतु consider एवं count करने के आदेश जारी किये। जिसकी अनुपालना में concerned teachers द्वारा समस्त आवश्यक सत्यापित दस्तावेज निदेशालय को प्रस्तुत कर दिये। इस पर कार्रवाई करते हुए निदेशालय ने दिनांक 4-4-2014 के उपर्युक्त संदर्भित आदेश द्वारा इन व्याख्याताओं को पूर्व सेवा अवधि के आधार पर परिवर्तित तिथि से वरिष्ठ एवं चयनित वेतन श्रृंखलाएं स्वीकृत की।

8. दुर्भाग्य से 4-4-2014 को निदेशालय द्वारा जारी आदेशों में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय एवं राज्य सरकार/ यू.जी.सी. द्वारा पूर्व में जारी आदेशों को सही अर्थों में नहीं लिया गया अथवा उनकी अनदेखी की गई। पूर्व में राज्य सरकार द्वारा 23-8-89 के उपर्युक्त संदर्भित आदेश के अनुसार कई व्याख्याताओं को satisfactory ACR के आधार पर चयनित वेतन श्रृंखला में पदोन्नति दी गई तो शेष व्याख्याताओं के लिए नियम की अलग व्याख्या कैसे हो सकती है? ये न्यायालय के निर्णय को गलत अर्थों में लिया जाकर निकाला गया आदेश है। अपनी अस्थायी सेवा को जोड़े जाने से पहले ही व्याख्याता 23-8-89 के आदेश के आधार पर चयनित श्रृंखला earlier प्राप्त कर रहे थे, न्यायालय द्वारा शिक्षकों के पक्ष में निर्णय देने के पश्चात् भी नियमों, निर्णयों एवं आदेशों के गलत interpretation करने के कारण प्रार्थी व्याख्यातागणों के लिए गंभीर वित्तीय एवं मानसिक परेशानी की स्थिति का निर्माण हो गया है।

ऐसी स्थिति में आपसे इस मामले में intervene करने का निवेदन करते हुए आग्रह है कि समस्त पात्र व्याख्याताओं को कॅरियर एडवांसमेन्ट योजना में चयनित वेतन श्रृंखला का लाभ 23-8-89 के आदेश के अनुसार अन्य व्याख्याताओं की भांति ही satisfactory ACR के आधार पर दिलवा कर उनका न्यायोचित अधिकार प्रदान करने में मदद करें।

साभार

भवदीय

(डॉ. नारायण लाल गुप्ता)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा) राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव (उच्च शिक्षा) राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।

(डॉ. नारायण लाल गुप्ता)